

ए.एन.ए आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, बरैली

संख्या-: ए.एन.ए.एम.सी.एच./शिक्षा/2024-25/

दिनांक:-04.02.2026

आदेश

आदेश भारत सरकार का राजपत्र रजिस्टर्ड संख्या डी.एल. 33004/99 भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिसूचना 01 मई 2024, सी.जी.-डी.एल.-अ.06052024-254049 के बिन्दु संख्या-30 यौन उत्पीडन के खिलाफ समिति, पृष्ठ संख्या 21 के कम में संस्था में एक सुरक्षित, न्यायसंगत और समावेशी परिसर वातावरण के निर्माण के लिए तत्काल प्रभाव से "यौन उत्पीडन के खिलाफ समिति" का गठन किया जा रहा है जोकि निम्नवत है-

क्र०सं०	अधिकारी/शिक्षक का नाम	विभाग	पद
1	डा.टीना रितेश शियाल	रचना शरीर	अध्यक्ष
2	डा. किरण राहुल खड़बड़े	किया शरीर	सदस्य
3	डा. बिन्दिया सक्सेना	संहिता एवं सिद्धान्त	सदस्य
4	डा. नीतू शर्मा	रोग निदान	सदस्य

निर्देशित किया जाता है कि गठित समिति परिसर में आगंतुकों सहित छात्रों, संकाय, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए यौन उत्पीडन, यौन अनाचार और यौन उत्पीडन के सम्बंध में शिकायतों का निपटान करेगी। इसके अतिरिक्त समिति यौन उत्पीडन के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करेगी।

समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायतों को प्राप्त करने और उनके निपटान में गोपनीय प्रक्रियाओं का पालन किया जाए

(डा. नरेन्द्र कुमार दलेला)
Principal
ANA Ayurvedic Medical College & Hospital
Bareilly (U.P.)

संख्या-: ए.एन.ए.एम.सी.एच./शिक्षा/2024-25/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक:-04.02.2026

- 1-समस्त अधिकारी/ कर्मचारी, ए.एन.ए आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, बरैली
- 2-सम्बंधित अधिकारी/शिक्षक।

(डा. नरेन्द्र कुमार दलेला)
Principal
ANA Ayurvedic Medical College & Hospital
Bareilly (U.P.)